

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

53 / 2022

श्री अम्बालाल पुत्र श्री जग्गा माली निवासी ग्राम डाडा / डारडाहिन्द तह0 व जिला टोंक
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 09.01.2023

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

यह कि श्रीमान जिला कलेक्टर साहब टोंक द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी टोंक को जारी पत्र, जिसके कलेक्ट्री के डिस्पेच नं0 353 दिनांक 25.01.2019 है, उक्त पत्र की प्रमाणित प्रति एवं उक्त पत्र पर उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा क्या कार्यवाही की गई, की सम्पूर्ण प्रति उपलब्ध कराये जावे ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 22.11.2022, 1684 दिनांक 8.12.2022, 1720 दिनांक 19.12.2022 व 01 दिनांक 01.01.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(चिन्मयी गौपाल)
- प्रथम अपील अधिकारी -
जिला कलेक्टर टोंक